न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
अर्न्तगत धाराः— 88 आरटीए
प्रकरण संख्याः—394 / 2018

1. जितेन्द्र भादू पुत्र उग्रसैन जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया।
2. अमित कुमार पुत्र उग्रसैन जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया।
3. दिनेश पुत्र सतपाज जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया।

—वादीगण

बनाम

1. उग्रसैन पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया।
2. सतपाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया।
3. सावित्री उर्फ सरबती पुत्री श्योकरण पत्नी लेखराम जाति जाट निवासी 11 एनटीआर बरवाली तहसील नोहर।
4. उर्मिला पुत्री श्योकरण राम पत्नी श्री जयदेव जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी ।
5. रीटा पुत्री उग्रसैन पत्नी सुशील कुमार जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी।
6. प्रिया पुत्री सतपाल पत्नी धर्मवीर जाति जाट निवासी चक 18 एमएमके धोलीपाल तहसील हनुमानगढ़।
7. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया। —प्रतिवादीगण

उपस्थित—श्री कैलाश कुमार सिंवल अधिवक्ता वादीगण
श्री हरविन्द्र कुमार गर्ग अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या—1,2,4,5,6
श्री हरबंशसिंह झोरड़ अधिवक्ता प्रतिवादीया संख्या 3

निर्णय **दिनांक :— 15.07.2019**

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया जिसमें वाद की सही स्थिति समझने हेतु वंशावली निम्नानुसार हैः—

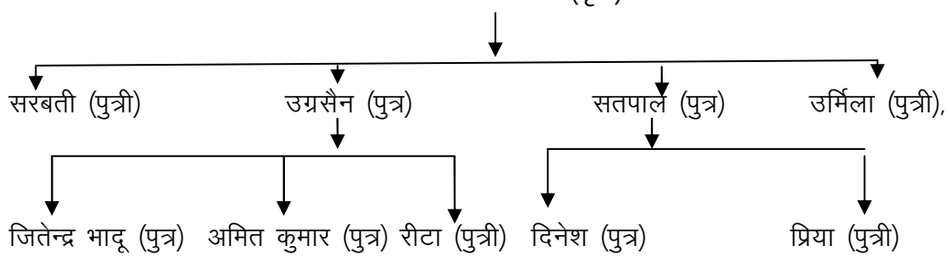

प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के पिता व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 व वादीगण के दादा के श्योकरण राम पुत्र बीरबलराम के नाम से चक नं. 5 एनटीआर के खाता संख्या 131 / 115 जमाबन्दी सम्वत् 2068—2071 में 5.060 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो प्रतिवादीगण एवं वादीगण की विरास्तन कृषि भूमि है। जमाबन्दी की नकल संलग्न वादपत्र है जो वाद का आधार है।

वादीगण के दादा श्योकरण राम की मृत्यु हो चुकी है जिनकी मृत्यु के पश्चात उनके जायज एवं कानूनी वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ही है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने वादपत्र की चरण संख्या 3 में दर्ज कृषि भूमि का बंटवारा कर लिया है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी संख्या 1 व 2 का पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 वादी संख्या 1 व 2 की बहिन है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 वादी संख्या 3 का पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 6 वादी संख्या 3 की बहिन है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वादपत्र की चरण संख्या

2 में वर्णित कृषि भूमि हमारी जद्दी जायदाद है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है।

वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक व हिस्सा का परित्याग वादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में बहिब परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 5 ने अपने हक व हिस्सा का परित्याग वादी संख्या 1 व 2 के हक व हिस्सा का परित्याग कर दिया है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 व 6 ने अपने हक व हिस्सा का परित्याग वादी संख्या 3 के पक्ष में कर दिया है। अब प्रतिवादी संख्या 3,5,6 अपना हक हिस्सा नहीं रखना चाहती है।

मुताबिक घरू बंटवारा वादीगण संख्या 1 व 2 को चक नं. 5 एनजीआर के खाता संख्या 131/115 जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 में 5.060 है. कृषि भूमि में से 2.530 है.बहिब प्राप्त हुई है तथा वादी संख्या 3 को चक नं. 5 एनजीआर के खाता संख्या 131/115 जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 में 5.060 है.कृषि भूमि में से 2.530 है.कृषि भूमि प्राप्त हुई है,जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। वादी उक्त घरू विभाजन अनुसार ही काश्त करते चले आ रहे है। कब्जा बाबत कोई विवाद नहीं है।

वादीगण ने दावा दायरी से एक सप्ताह पूर्व प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे वादपत्र की चरण संख्या 9 के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार होना मान लेवे व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवे तो प्रतिवादीगण ने वादीगण के इस न्यायोचित निवेदन पर पहले तो टाल मटोल करते रहे किन्तु अन्त में स्पष्ट इन्कार हो गये । बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तलबी जरिये अधिवक्ता अपने–अपने जवाब दावे पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र की चरण संख्या 9 में वर्णित आराजी का वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारों को कोई ऐतराज नहीं है। समस्त पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां पेश की है। साक्ष्य वादी में वादी जितेन्द्र भादू का शपथ–पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वादपत्र में वादीगण ने श्योकरणराम, व उग्रसेन एवं सतपाल का वारिस तस्दीक प्रमाण–पत्र पेश किया तथा श्योकरणराम के मृत्यु प्रमाण–पत्र की चित्रप्रति पेश की है जो शामिल मिसल हो। साथ ही इनके द्वारा विमला पत्नी सतपाल व चन्द्रकला पत्नी उग्रसैन के सहमति पत्र भी प्रस्तुत किये गये है। सरबती व सावित्री दोनो एक ही नाम है का सरपंच ग्राम पंचायत नगराना द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किया है जो शामिल पत्रावली है। जमाबन्दी से पैतृक सम्पति साबित है क्योंकि मृतक श्योकरणराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में आराजी दर्ज है जो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिसान को प्राप्त होनी है। तथा

अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों यथा जमाबन्दी से यह प्रकट है कि वादगत आराजी वादीगण की दादा श्योकरणराम के नाम से दर्ज थी जो क्रमशः वादीगण के पिता को प्राप्त हुई। जमाबन्दी से वादगत आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। पैतृक सम्पति पर वादीगण की घरू बंटवारे के आधार पर लम्बे समय से कब्जा काश्त में है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण का कब्जा होना स्वीकार किया । अतः वाद वादीगण काबिल स्वीकार है।

वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण व प्रतिवादीगण का आपस में घरू बंटवारा हो गया है, प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत जवाब दावा के मुताबिक वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मृतक पिता श्योकरणराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पैतृक सम्पति है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान के मध्य कोई

विवाद नहीं है,आपस में घरू बंटवारा हो चुका है,इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि मृतक श्योकरणराम के नाम से दर्ज आराजी चक नं. 5 एनजीआर के खाता संख्या 131/115 जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 में 5.060 है. कृषि भूमि में से 2.530 है.बहिब प्राप्त हुई है तथा वादी संख्या 3 को चक नं. 5 एनजीआर के खाता संख्या 131/115 जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 में 5.060 है.कृषि भूमि में से 2.530 है. कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। वादीगण के नाम से उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते व मृतक श्योकरणराम का नाम चक नं. 5 एनजीआर के खाता संख्या 131/115 में से कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड धिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 394/2018

1. जितेन्द्र भादू पुत्र उग्रसैन जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया।
2. अमित कुमार पुत्र उग्रसैन जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया।
3. दिनेश पुत्र सतपाज जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया।

–वादीगण

बनाम

1. उग्रसैन पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया।
2. सतपाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया।
3. सावित्री उर्फ सरबती पुत्री श्योकरण पत्नी लेखराम जाति जाट निवासी 11 एनटीआर बरवाली तहसील नोहर।
4. उर्मिला पुत्री श्योकरण राम पत्नी श्री जयदेव जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी ।
5. रीटा पुत्री उग्रसैन पत्नी सुशील कुमार जाति जाट निवासी पीरकामड़िया तहसील टिब्बी।
6. प्रिया पुत्री सतपाल पत्नी धर्मवीर जाति जाट निवासी चक 18 एमएमके धोलीपाल तहसील हनुमानगढ़।
7. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया। –प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिंवल वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री हरविन्द्र कुमार गर्ग व हरबंशसिंह झोरड़ प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि मृतक श्योकरणराम के नाम से दर्ज आराजी चक नं. 5 एनजीआर के खाता संख्या 131/115 जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 में 5.060 है. कृषि भूमि में से 2.530 है.बहिब प्राप्त हुई है तथा वादी संख्या 3 को चक नं.5 एनजीआर के खाता संख्या 131/115 जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 में 5.060 है. कृषि भूमि में से 2.530 है.कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। वादीगण के नाम से उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते व मृतक श्योकरणराम का नाम चक नं. 5 एनजीआर के खाता संख्या 131/115 में से कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 15.07.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड धिकारी,संगरिया